

प्रेमक,

श्री अमिता अग्रणी,
संयुक्त माध्यमिक
अनुसंधान संस्थान ।

सेवा में,

श्री अमिता अग्रणी,
संयुक्त माध्यमिक शिक्षा परिषद,
विभाग नं० 2 लखनऊ केन्द्र,
प्रौद्योगिक विभाग नं० दिल्ली ।

विभाग 171 अनुभाग

दिनांक: 19 अगस्त, 1997

विषय:- श्री अमिता अग्रणी द्वारा संयुक्त माध्यमिक शिक्षा परिषद के माध्यमिक शिक्षा परिषद नई दिल्ली के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक पर मुझे यह कल्पना का निर्देश हुआ है कि श्री अमिता अग्रणी द्वारा संयुक्त माध्यमिक शिक्षा परिषद नई दिल्ली के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन अनापत्ति नहीं दी जायेगी :-

- 111 विद्यालय की संजीवित होनापत्ती का सम्यक् तम पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।
- 121 विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा विभाग द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।
- 131 विद्यालय में कम से कम एक प्रतिष्ठित स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जातियों के बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संयोजित विद्यालयों में विभिन्न छात्रों के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।
- 141 संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से वैकिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बन्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/कांतिन फार दि इन्डियन स्कूल तटी/किशोर् इन्वार्सिमेन्ट नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उक्त परीक्षा परिषदों से सम्बन्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता तथा राज्य सरकार से अनुदान स्थान समाप्त हो जायेगी ।
- 151 संस्था से अधिक एवं अधिकतर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुसूचित क्षेत्रमानों तथा अन्य भातों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्तों नहीं दिये जायेंगे ।
- 161 कर्मचारियों की सेवा नहीं बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त आगतरीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुसूचित सेवा के समान ही अन्य सहायता नहीं दी जायेगी ।

मनोपत्रकार
Manager
Laxmi Public School
Kailashpur, Ghalsara
Distt. → ()

for

तैसा निवृत्त का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे ।

- 17। राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे तैसा उनका पालन करेगी ।
- 18। विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजीकों में रखा जायेगा ।
- 19। उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन या परिवर्धन नहीं किया जायेगा ।

- 2- प्रतिबन्ध यह भी होगा कि तैसा द्वारा यह सुनिश्चित किया जाय कि-
 - 11। विद्यालय के निजी भवन का निर्माण करके स्वामित्व प्राप्त करके शासन को अलग कराया जायेगा । सी०बी०एस०के० द्वारा सम्बन्धित जगह उपरान्त ही प्रदान की जायेगी ।
 - 12। विद्यालय हिन्दी माध्यम से संचालित किया जायेगा तथा सम्बन्धिता भी हिन्दी माध्यम से प्राप्त की जायेगी ।

3- उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना तैसा के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि तैसा द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की देर या जिम्झता करती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा कृदत्त अनाधरित प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

भवदीय,

अशोक गौगोरी
संयुक्त सचिव ।

NO. 2284111/15-7-1997 तददिनांक

प्रतिनिधि नि-नलिखित को सूचनार्थ स्व आवश्यक कार्याली हेतु प्रेषित:-

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 2- मन्त्रीय सहाय शिक्षा निदेशक, वाराणसी ।
- 3- जिला शिक्षाया निरीक्षक, वाराणसी ।
- 4- निराक्षर, अंग्रेजी भारतीय विद्यालय उ०प्र० लखनऊ ।
- 5- प्रबन्धक, श्री लक्ष्मी पाब्लिक स्कूल जेठापुरी मुमतराय वाराणसी ।

आज्ञा से,

(Signature)